न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 114/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुखराम पुत्र धुडाराम जाति जाट निवासी फिडोद तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		तहसीलदार, मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 29.10.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 465/2018 सरकार बनाम सुखराम में निर्णय दिनांक 23.02.18 के तहत मौजा फिडोद के खसरा नं. 871 व 807 गै.मु. रास्ता व मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.02.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 08.03.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 465/18 सरकार बनाम सुखराम के फर्द अहकाम दिनांक 1.2.18 से 23.2.18 तक की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, पटवारी बयान की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 23.2.18 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के प्रकरण सं. 43/16 के फर्द अहकाम दिनांक 23.9.16 से 15.1.18 की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर को प्रस्तुत अपील की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील गलत, विरूद्व कानून व तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–प्रार्थी सुखराम दिनांक 15.2.18 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब व साक्ष्य हेतु समय चाहा। मगर अपीलांट को कोई समय नही दिया व न ही आगामी पेशी दी गयी। इसलिये प्रार्थी अपीलांट मजबूर होकर उसी दिन जवाब व राजस्व अपील अधिकारी नागौर के प्रकरण सुखराम बनाम राज. सरकार दिनांक 23.9.16 उपरोक्त खसरान से संबंधित पूर्व अपील अपर कलक्टर नागौर निर्णय दिनांक 6.1.16, अपील सं. 27/15 व तहसीलदार मुण्डवा के निर्णय दिनांक 20.3.15 अपील सं. 246/15 के विरूद्व पेश अपील व उक्त दोनो आदेशो की पालना स्थगित करते हुए राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 23.9.16 को आगामी आदेश तक पालना स्थगित करने के निर्णय की प्रति पेश की व जवाब व अन्य दस्तावेजात पेश किये, जिनको रेकर्ड पर नही लिया गया न ही अपीलांट को सुना गया न ही अपीलांट को साक्ष्य का अवसर दिया गया, इसलिये अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट के विरूद्व पूर्व मे दिनांक 20.3.16 अपील सं. 246/15 धारा 91 रा.ले.रे.एक्ट तहसीलदार मुण्डवा द्वारा धारा 91 की कार्यवाही की मगर उक्त अपील को राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया गया, उसके पश्चात अगर पूर्व की अपील किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है तो उसी व्यक्ति के विरूद्व उसी खसरान के संबंध मे धारा 91 के तहत दुबारा कार्यवाही नही

अपर कलक्टर, नागौर

की जा सकती है जबकि तहसीलदार मुण्डवा द्वारा विधि विरूद्व जाकर पूर्व की अपील के निस्तारण के पूर्व ही दूसरी 91 की कार्यवाही अमल मे लायी गयी है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलांट के विरूद्व तहसीलदार मुण्डवा ने व्यक्तिगत द्वेषतावश 91 की दूसरी कार्यवाही की है क्योकि अपीलांट के पूर्व की अपील मे स्थगन आदेश जारी होने के पश्चात बेदखली की कार्यवाही की थी। उसके विरूद्व अपीलांट ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आवेदन राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष पेश किया, जिससे नाराज होकर तहसीलदार मुण्डवा ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मिथ्या कार्यवाही करते हुए यह पुनः आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट के विरूद्व पूर्व मे जो विधि विरूद्व रूप से स्थगन के बावजूद भी मौके पर तहसीलदार मुण्डवा, संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी ने मौके पर तोड फोड कर बेदखली की कार्यवाही की थी वह स्थिति आज दिन वैसी की वैसी है अपीलांट द्वारा दूसरी बार कोई कब्जा किसी प्रकार से नही किया है केवल मात्र अपीलांट से द्वेषता होने व न्यायालय के आदेश की अवहेलना की कार्यवाही करने से झूठी रिपोर्ट पटवारी व आरआई से बनवा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताने की गरज से सारी कार्यवाही मिथ्या व काल्पनिक रूप से की गयी होने से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VI)–तहसीलदार ने अपीलांट को पूर्ण साक्ष्य सुनवाई का अवसर नही दिया, आरआई व हल्का पटवारी से जिरह का अवसर अपीलांट को नही मिला, तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौके की जांच नही की मात्र उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उक्त निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–येन केन प्रकारेण अपीलांट को जेल भिजवाने के उददेश्य से प्रकरण का निर्णय पारित किया है और अपीलांट को उक्त प्रकरण मे गिरफ्तार करवा कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजना चाहते है तथा निर्णय व पत्रावली की नकले भी जानबूझकर देरी से दी गयी है। अपीलांट पर दबाव बनाने के लिये बिना किसी वजह हिरासत मे भिजवाने हेतु निर्णय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट के विधिक अधिकारो पर भारी कुठाराघात हो रहा है। पूर्व की अपील के निर्णय के बाद ही कोई कार्यवाही की जाना विधि सम्मत थी, अपने से उपर के न्यायालय मे उसी वस्तुस्थिति बाबत अपील विचाराधीन रहते हुए नया प्रकरण दर्ज कर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नही है ऐसी स्थिति मे निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाना व उसकी पालना तुरंत प्रभाव से स्थगित रखी जाना अति आवश्यक व न्याय संगत है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा फिडोद में स्थित गै.मु. रास्ता व मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके फिडोद के खसरा नंबर 871 व 807 गै.मु. रास्ता व मगरा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता व मगरा है। अपीलांट द्वारा बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि आदेश जैर अपील पारित करने की तिथि को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के प्रकरण सुखराम बनाम राज. सरकार मे आदेश दिनांक 23.9.16 के द्वारा तहसीलदार नागौर के निर्णय दिनांक 20.03.2015 को आगामी आदेश तक स्थगित रखे जाने का प्रभावी होने के बावजूद आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो विधि विरूद्व है। तहसीलदार नागौर का निर्णय दिनांक 20.03.2015 आराजी भूमि से संबंधित हो, ऐसा अभिलेख पर दस्तावेजी आधार नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जवाब अपीलांट सुखराम दिनांक 15.02.2018 के अनुसार अपीलांट द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.03.2015 पत्रावली सं. 246/15 के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर मे अपील विचाराधीन होना व आगामी आदेश तक स्थगन जारी होने का कथन किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट सुखराम के अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2018 मे कथन किया गया कि अपीलांट का मौजा फिडोद के खसरा नं. 871, 807 किस्म गै.मु. रास्ता व गै.मु. मगरा पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया था। उस पर अपीलांट द्वारा पुनः किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया एवं इस प्रार्थना पत्र की जांच भू अभिलेख निरीक्षक खरनाल की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.18 के अनुसार अपीलांट द्वारा पुनः कब्जा पूर्व मे बेदखली किये गये स्थान पर

अपर कलक्टर, नागौर

किये जाने का अंकन किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य एक दूसरे के विरोधी है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 19.12.17 के अनुसार मौके पर कटाणी रास्ता खुलवा दिया जाना बताते हुए एक अतिक्रमी का अतिक्रमण न्यायालय से स्थगन होने से नही हटाने का भी अंकन आया है। आया उक्त नही हटाया गया अतिक्रमण अपीलांट सुखराम का ही था अथवा अन्य किसी का, इस संबंध मे कोई ठोस आधार पत्रावली पर नही है। अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालय के किस आदेश के तहत हटाया गया, बेदखली की दिनांक को आराजी भूमि को लेकर न्यायिक स्थगन आदेश प्रभावी रहा हो, अधीनस्थ न्यायालय को जानकारी रही हो, पूर्व मे बेदखली से संबंधित पत्रावली को अभिलेख पर लेकर विस्तृत जांच की आवश्यकता होते हुए भी आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जरवेशन एवं पूर्व मे बेदखली से संबंधित पत्रावली, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर मे लंबित प्रकरण से संबंधित दस्तावेज पत्रावली पर लेते हुए अपीलांट को नोटिस देकर सबूत, शहादत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर